संख्या-273/2025/1969/001-23-6099/154/2025

प्रेषक,

शिव कुमार,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक** 25-09-2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत बागपत जनपद के 01 कार्य की व्यपगत धनराशि पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-4388 बी०जी०/7बी०-धर्मार्थ कार्य योजना नये कार्य प्रस्तावप्रस्ताव/2025-26, दिनांक 27.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद बागपत में बालैनी पुरामहादेव मन्दिर-बिनौली मार्ग (अ0जि0मा0) से गल्हैता गॉव में नये कॉवड यात्रा मार्ग का नव निर्माण का कार्य हेतु व्यपगत (लैप्स) हो जाने के दृष्टिगत उक्त धनराशि का पुनः आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के कॉलम-3 में अंकित कार्यों की धनराशि आहरित न हो पाने के कारण लैप्स/व्यपगत हो गयी है, के सापेक्ष विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० द्वारा कोषागार के अनाहरण प्रमाण पत्र सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उक्त मार्गों की व्यपगत कुल धनराशि रू0 74.65 लाख (रूपये चौहत्तर लाख पैसठ हजार) को वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन पुनः अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	शासनादेश में अवमुक्त धनराशि(प्रथम किश्त)	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय	व्यपगत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुन: प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बागपत प्रा0खं0	जनपद बागपत में बालैनी पुरामहादेव मन्दिर-बिनौली मार्ग (अ0जि0मा0) से गल्हैता गॉव में नये कॉवड यात्रा मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	75/2025/2285/23-6-2024/23-4099(099)/219/2024 दि0 03-03-2025	96.04 96.04 12.00 84.04	76.83	2.18	74.65	74.65
							कुल योग	74.65

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) मार्ग की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं कार्य के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) भविष्य में चालू कार्यों पर आवंटित धनराशि का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाये और कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त तालिका में अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी ।

(7) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी. ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी 1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(8) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/ त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम क्षेत्र के संबंर्जित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(9) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 74,65,000 (रुपये चौहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371200 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन ।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-4/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ०प्र० शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।